राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0–30–373/2021 4497

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिंहा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–,
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक– 30.12.23

विषयः– **जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायती समिति प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत उप मुखिया, ग्राम कचहरी उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन भेजे जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में सम्पन्न कराने गये थे तथा नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का दिनांक 24.12.2021 से 31.12.2021 तक उप मुखिया एवं उप सरपंच तथा दिनांक 23.12.2021 से 03.01.2022 तक पंचायत समिति प्रमुख/उप प्रमुख तथा जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण एवं निर्वाचन कराये गये थे। चूँकि निर्वाचन के दो वर्ष पूरे होने जा रहे है, ऐसी स्थिति में प्रायः उपरोक्त पद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की संभावना है।

विदित है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के धारा 70, 44 (3), 18(4)(ii) एवं 97(4)(ii) के तहत क्रमशः जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायती समिति प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत उप मुखिया, ग्राम कचहरी उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक की प्रक्रिया पूर्ण होने पर केवल फलाफल प्रतिवेदित करते हुए निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि बैठक की कार्यवाही की समीक्षा आयोग द्वारा करने के पश्चात ही रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने की कार्रवाई की जाती है। प्रायः कार्यवाही की समीक्षा करने में तथ्यों के अभाव में निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायती समिति प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत उप मुखिया, ग्राम कचहरी उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन के लिए **प्रपत्र–1**, पंचायत समिति प्रमुख/उप प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन के लिए **प्रपत्र–2** एवं ग्राम पंचायत उप मुखिया/ग्राम कचहरी उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन के लिए **प्रपत्र–3** संलग्न किये गये हैं। संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त कर सभी कागजात के साथ जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को भेजा जाय।

अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी प्रतिवेदन पर सहमति/असहमति एवं अपने स्पष्ट मंतव्य/अनुशंसा के साथ प्राप्त प्रतिवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक कागजात आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/- 30/12/23
सचिव।

पटना, दिनांक– 30.12.23

ज्ञापांक–पं.नि. 30–373/2021 4497

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ह0/- 30/12/23
सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com

ज्ञापांक–   पं.नि. 30–373 / 2021 4497   पटना, दिनांक – 30.12.23

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 प0नि0–30–373 / 2021 4497   पटना, दिनांक– 30.12.23

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

प्रपत्र-1

जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन

(बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70 के तहत)

जिला –

श्री/ श्रीमती .... जिला परिषद अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के विरूद्ध

दिनांक .... को अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक।

क्रमांक	विवरण	प्रतिवेदन
1	जिला परिषद में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या	
2	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(i) के अधीन अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने हेतु अध्यपेक्षा की गई अथवा नहीं?	अध्यपेक्षा करने वाले सदस्यों की संख्या – (साक्ष्य संलग्न करें।)
3	अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के क्रम में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(ii & iii) को दृष्टिपथ में रखा गया है अथवा नहीं?	जिला परिषद गठन की तिथि – इसके पहले कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था?
4	अविश्वास प्रस्ताव बैठक की सूचना किस तिथि को निर्गत हुई तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 28 के प्रावधान के आलोक में सूचना प्राप्त करा दी गई है?	निर्गत सूचना का पत्रांक/ दिनांक – किस तिथि तक सूचना प्राप्त करा दी गई?
5	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(iv) के आलोक में बैठक की सूचना में कारण/ आरोप जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अंकित की गई है अथवा नहीं।	(साक्ष्य संलग्न करें।)
6	बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या –	
7	(क) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(i) के आलोक में बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम एवं पदनाम – (ख) अध्यक्ष द्वारा बैठक का आयोजन नहीं किये जाने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम एवं पदनाम –	
8	उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक के क्रम में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श/ चर्चा हुई?	
9	गुप्त मतदान की स्थिति में कितने सदस्यों द्वारा मतदान में भाग लिया गया?	
10	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	
11	अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	
12	अवैध/ रद्द मतों की संख्या –	
13	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(i) के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव तत्समय पदधारण करने वाले पार्षदों की सम्पूर्ण संख्या के बहुमत से पारित हुआ अथवा नहीं?	
14	बैठक आरम्भ होने तथा समाप्त होने का समय –	
15	बैठक के सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई है?	
16	बैठक की कार्यवाही अभिलिखित किया गया अथवा नहीं?	(कार्यवाही संलग्न करें।)
17	अभियुक्ति/ अन्यान्य –	

स्थान –

दिनांक –

जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
का हस्तक्षार, नाम एवं पदनाम

प्रपत्र-2

पंचायत समिति प्रमुख/उप प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन

(बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3) के तहत्)

जिला – प्रखंड –

श्री/ श्रीमती .... पंचायत समिति प्रमुख/ उप प्रमुख के विरूद्ध दिनांक .... को अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक।

क्रमांक	विवरण	प्रतिवेदन
1	पंचायत समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या	
2	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3)(i) के अधीन अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने हेतु अध्यपेक्षा की गई अथवा नहीं ?	अध्यपेक्षा करने वाले सदस्यों की संख्या - (साक्ष्य संलग्न करें।)
3	अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के क्रम में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3)(ii & iii) को दृष्टिपथ में रखा गया है अथवां नहीं ?	पंचायत समिति गठन की तिथि - इसके पहले कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ?
4	अविश्वास प्रस्ताव बैठक की सूचना किस तिथि को निर्गत हुई तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 16 के प्रावधान के आलोक में सूचना प्राप्त करा दी गई है ?	निर्गत सूचना का पत्रांक/ दिनांक – किस तिथि तक सूचना प्राप्त करा दी गई ?
5	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3)(iv) के आलोक में बैठक की सूचना में कारण/ आरोप जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अंकित की गई है अथवा नहीं।	(साक्ष्य संलग्न करें।)
6	बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या –	
7	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3)(vii) के आलोक में बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम एवं पदनाम –	
8	उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक के क्रम में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श/ चर्चा हुई ?	
9	गुप्त मतदान की स्थिति में कितने सदस्यों द्वारा मतदान में भाग लिया गया ?	
10	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	
11	अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	
12	अवैध/ रद्द मतों की संख्या –	
13	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3) के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित हुआ अथवा नहीं ?	
14	बैठक आरम्भ होने तथा समाप्त होने का समय –	
15	बैठक के सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई है ?	
16	बैठक की कार्यवाही अभिलिखित किया गया अथवा नहीं ?	(कार्यवाही संलग्न करें।)
17	अभियुक्ति/ अन्यान्य –	

स्थान –

दिनांक –

पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी
का हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

प्रपत्र-3

ग्राम पंचायत उप मुखिया/ग्राम कचहरी उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन

(बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के तहत)

जिला – प्रखंड – ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी –

श्री/ श्रीमती .... ग्राम पंचायत उप मुखिया/ ग्राम कचहरी उप सरपंच के विरूद्ध दिनांक .... को अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक।

क्रमांक	विवरण	प्रतिवेदन
1	ग्रम पंचायत सदस्य/ ग्राम कचहरी पंच के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या	
2	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के अधीन अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने हेतु अध्यपेक्षा की गई अथवा नहीं ?	अध्यपेक्षा करने वाले सदस्यों की संख्या – (साक्ष्य संलग्न करें।)
3	अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के क्रम में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के परन्तुक को दृष्टिपथ में रखा गया है अथवा नहीं ?	उप मुखिया/ उप सरपंच के विगत निर्वाचन की तिथि – इसके पहले कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ?
4	अविश्वास प्रस्ताव बैठक की सूचना किस तिथि को निर्गत हुई तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 06 के प्रावधान के आलोक में सूचना प्राप्त करा दी गई है ?	निर्गत सूचना का पत्रांक/ दिनांक – किस तिथि तक सूचना प्राप्त करा दी गई ?
5	बैठक की सूचना में कारण/आरोप जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अंकित की गई है अथवा नहीं।	(साक्ष्य संलग्न करें।)
6	बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या –	
7	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के आलोक में बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम एवं पदनाम –	
8	उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक के क्रम में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श/ चर्चा हुई ?	
9	गुप्त मतदान की स्थिति में कितने सदस्यों द्वारा मतदान में भाग लिया गया ?	
10	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	
11	अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में प्राप्त मतों की संख्या –	
12	अवैध/ रद्द मतों की संख्या –	
13	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(4)(ii)/97(4)(ii) के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी के कुल निर्वाचित सदस्यों/ पंचों एवं मुखिया/ सरपंच की संख्या के साधारण बहुमत से पारित हुआ अथवा नहीं ?	
14	बैठक आरम्भ होने तथा समाप्त होने का समय –	
15	बैठक के सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई है ?	
16	बैठक की कार्यवाही अभिलिखित किया गया अथवा नहीं ?	(कार्यवाही संलग्न करें।)
17	अभियुक्ति/ अन्यान्य –	

स्थान –

दिनांक –

प्रखंड विकास पदाधिकारी
का हस्तक्षार, नाम एवं पदनाम